



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ २()पंचायती विकास एवं पंचायती राज विभाग / 2489

जयपुर, दिनांक:— २७.११.२०१५

१. श्रीमती प्रियंका मीणा,
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति लालसोट
जिला दौसा।
२. सुश्री पिंकी शर्मा,
विकास अधिकारी
पंचायत समिति दूदू
जिला जयपुर।

विषय:—आधारभूत प्रशिक्षण हेतु IGPRS उपस्थिति देने बाबत।

प्रसंग:— विभागीय आदेश क्रमांक 2457 दिनांक 23.11.2015।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक आदेश द्वारा आपको दिनांक 26.11.2015 को प्रातः 9:30 बजे बैच-2012 के साथ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 26.11.2015 को उक्त संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः आप आज ही इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।

(गिरीश प्रजापति)
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

१. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
२. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
३. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर एवं दौसा।
४. विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट एवं दूदू।
५. सम्बन्धित अधिकारियों को पालनार्थ।
६. प्रोग्रामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
७. संबंधित अधिकारी।
८. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रजापति)
शासन उप सचिव (प्रशा-1)